...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...रण सख्या : 102/2018

कान्ति बाई पुत्री अमरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बोहत तहसील मांगरोल हाल निवासी अरनेठा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी

....वादनी

♠ बनाम ♠

1. नाथूलाल पुत्र धन्नालाल } जाति धाकड निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
2. काली बाई पुत्री धन्नालाल }
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते दुरूस्त किए जाने राजस्व नक्शा मुताबिक राजस्व कब्जा दिए जाने बाबत् धारा 88, 89, 90, 92 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादनी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांकः 20.08.2018

निर्णय दिनांक : 14.11.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बाद बंटवारा वादनी के खाता कमांक 75 नया 57 पुराना ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में कुल किता 8 रकबा 1.74 है0 आराजी दर्ज की गई है, खाता कमाक 75 में दर्ज खसरा नंम्बरान में से सिर्फ खसरा नंम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 व खसरा नं0 2878/3266 रकबा 0.44 है0 के राजस्व नक्शे का विवाद है। हाल खसरा नं0 2843 व 2878 ग्राम बोहत के साबिक खसरा नम्बर 1921 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा था, सहायक कलक्टर बारां द्वारा बंटवारा किऐ जाने पर खसरा नम्बर 1921 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से वादनी को 4 बीघा भूमि दी गई और इस साबिक खसरा नम्बर 1921 के हाल खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 व खसरा नं0 2878/3266 रकबा 0.44 है0 दर्ज कर दिये गये है। बंटवारा के फलस्वरूप खसरा नं0 2843/3265 रकबा 0.20 है0 एवं खसरा नं0 2878/3266 रकबा 0.44 है0 वादनी के खाते राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर दिये गये लेकिन राजस्व नक्शे में इन खसरा नम्बरान का अंकन नही किया गया जिससे वादनी को काश्त करने मे दुविधा है, यानि कि किस जगह पर वह कब्जा करें, इस प्रकार संपूर्ण राजस्व नक्शे खसरा नम्बर 2878 व खसरा नम्बर 2843 पर प्रतिवादी नं0 1 काश्त कर रहा है। वर्तमान राजस्व नक्शा ग्राम बोहत में वादनी के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 व खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 है0 का राजस्व नक्शा नही बना हुआ है नक्शा नही बना होने से वादनी को काश्त करने में भारी परेशानी आ रही है और प्रतिवादीगण इस स्थिति का फायदा उठा कर समस्त आराजी पर काबिज काश्त है। राजस्व नक्शा देखने से खसरा नम्बर 2878 के दो भाग हो रहे है, एक भाग छोटा है और एक भाग बढा है, वादनी का नक्शा खसरा नम्बर 2878 के छोटे भाग में काट दिया जावे क्योंकि इसके पीछे खसरा नम्बर 2843 है जिसमें वादनी का 0.20 है0 हिस्सा है इस प्रकार वादनी को काश्त करने में आसानी रहेगी

...जी में आने जाने का रास्ता भी बन जायेगा ताकि वादनी काश्त करने हेतु आराजी पर जा सकें। ...नी उपरोक्त खसरा नम्बर की खातेदार होने के बाद भी काश्त नही कर पा रही है जिससे वादनी को आर्थिक नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है, अतः वादनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमावें। कि खाता क्रमांक 75 ग्राम बोहत तहसील मांगरोल में वादनी के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 व खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 है0 का अंकन राजस्व नक्शा ग्राम बोहत में दर्ज खसरा नं0 2878 व 2843 में किया जावें व अंकन किऐ गये राजस्व नक्शे की आराजी में वादनी को आने जाने का रास्ता भी दिया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 20.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को तलब किया, बावजूद सूचना कोई उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील वादनी ने वादनी की मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 कांति बाई व पीडब्ल्यू 2 मोतीलाल के बयान करवाये, दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 हाल जमाबंदी ग्राम बोहत, प्रदर्श–2 राजस्व नक्शा ग्राम बोहत, प्रदर्श–3 हाल सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदी ग्राम बोहत व प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 2878 व 2843 है।

वकील वादनी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया वादनी के बयानो व वकील वादनी की बहस पर मनन किया। वकील वादनी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में लिखा है तथा बयानो में कहा गया है वकील वादनी ने मुख्य तौर पर बहस में बताया कि प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी में खसरा नंम्बर खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 व खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 है0 आराजी वादनी के खाते में दर्ज हो रही है लेकिन इन दर्ज खसरा नम्बरान का राजस्व नक्शा प्रदर्श–2 में नही हुआ है इस आराजी का नक्शा बनाने वास्ते ही यह वाद पेश किया गया है। प्रदर्श–2 राजस्व नक्शा ग्राम बोहत में खसरा नम्बर 2878 के दो भाग हो रहे है दौनो ही भाग में खसरा नम्बर 2878 लिखा हुआ है एक भू–भाग बडा है और एक भू–भाग छोटा है खसरा नम्बर 2878 का जो भाग छोटा है, उसके पीछे खसरा नम्बर 2843 की आराजी है इस खसरा नम्बर 2843 में वादनी का हिस्सा 0.20 है0 है।

वकील वादी ने बताया कि खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 है0 आराजी दर्ज हो रही है इस खसरा नम्बर का राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 2878 के छोटे भू–भाग में जैसा कि प्रदर्श 2 में बताया है उत्तरी–पूर्वी हिस्से की तरफ बना दिया जावे तथा इससे पूर्व की ओर खसरा नम्बर 2843 की आराजी में खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 का राजस्व नक्शा बना दिया जावें, जिससे वादनी के दौनो खसरा नम्बर की आराजी आपस में लगी हुई रहेगी और आराजी पर आने जाने की समस्या भी वादनी को

...गी तथा प्रतिवादीगण की आराजी से बिल्कुल अलग हो जावेगी तथा प्रतिवादीगण को भी अपनी ...जी पर आने जाने के परेशानी नही रहेगी।

न्यायालय वकील वादनी की बहस व तर्क से सहमत है तथा खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 व खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 है0 का राजस्व नक्शा बनाया जाना न्याय संगत समझती है तथा बनाये गये राजस्व नक्शे पर कब्जा वादनी का दिलवाया जाना भी न्यायोचित समझती है।

अतः वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 2878 के राजस्व नक्शे(छोटे भाग) के उत्तरी ओर वादनी के खाते में दर्ज खसरा नम्बर 2878/3266 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम बोहत तह0 मांगरोल का राजस्व नक्शा बनाया जावे तथा बने हुऐ नये राजस्व नक्शे के लगा हुआ पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 2843 भू–भाग में वादनी के दर्ज खसरा नम्बर 2843/3265 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम बोहत तह0 मांगरोल का राजस्व नक्शा बनाया जावें जिससे वादनी के दोनो खसरा नम्बर की आराजी एक दूसरे से मिली रहे, तथा बनाये गये राजस्व नक्शो की आराजी का भौतिक कब्जा भी वादनी को दिलाया जावें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना